न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–5/18(आरसीएमएस नं. 2018/00006)

1. ग्यारसीलाल पुत्र श्री जमन लाल, जाति खारवाल, निवासी शील की डूंगरी, तहसील चाकसू जिला जयपुर।
2. मूलचन्द,पुत्र श्री जमन लाल, जाति खारवाल, निवासी शील की डूंगरी, तहसील चाकसू जिला जयपुर।
3. धन्नालाल पुत्र श्री जमनलाल, जाति खारवाल, निवासी शील की डूंगरी, तहसील चाकसू जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. प्रभातीलाल पुत्र श्री जमन लाल, जाति खारवाल, निवासी शील की डूंगरी, तहसील चाकसू जिला जयपुर।
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
3. श्रीमती रेणु बासोतिया धर्मपत्नी श्री नवीन बासोतिया, जाति बाहाम्ण निवासी प्लॉट नम्बर सी–3, मधुवन कॉलोनी टोंक फाटक, जयपुर।
4. श्रीमती प्रीती बासेतिया धर्मपत्नी श्री दीपक बासोतिया, जाति ब्राहाम्ण निवासी प्लॉट नम्बर सी–3, मधुवन कॉलोनी, टोंक फाटक, जयपुर।

––––रेस्पोडेन्ट्स

अपील संख्याः–143/18

1. श्रीमती रेणु बासोतिया धर्मपत्नी श्री नवीन बासोतिया, जाति बाहाम्ण निवासी प्लॉट नम्बर सी–3, मधुवन कॉलोनी टोंक फाटक, जयपुर।
2. श्रीमती प्रीती बासेतिया धर्मपत्नी श्री दीपक बासोतिया, जाति ब्राहाम्ण निवासी प्लॉट नम्बर सी–3, मधुवन कॉलोनी, टोंक फाटक, जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. प्रभातीलाल,
2. ग्यारसीलाल,
3. मूलचन्द,
4. धन्नालाल पुत्रान श्री जमन लाल, जाति खारवाल, निवासी शील की डूंगरी, तहसील चाकसू जिला जयपुर।
5. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

––––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 01.08.2018

अपीलार्थीगण द्वारा यह दोनों अपीलें न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) जयपुर राजस्थान के आदेश दिनांक 28.12.2017 (प्रकरण संख्या 09/2017) के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई इसलिये दोनो अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

अपील संख्या 5/2018 के अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक तथ्यों का सम्यक

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

विवेचन नही करते हुए दिनांक 29.07.1994 के आदेश को जिस प्रकार से निरस्त किया है वह कानूनन सही नही है, विधि का यह सुव्यस्थित सिद्धान्त है कि सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु का तय करने के पश्चात् अपील को गुणावगुण पर निर्णय किया जाना आवश्यक है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने महज विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित मानते हुये जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह गलत है एवं काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का न्यायिक विवेक से परिशीलन न कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने मे अहम कानूनी भूल की है इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलानन्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत अपील वर्ष 2017 में प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलान्ट द्वारा प्राथमिक आपत्ति भी प्रस्तुत की गई थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण की उक्त विधिक प्राथमिक आपत्ति का सही रूप से निस्तारण नही कर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह गलत है एवं काबिले निरस्त है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने यह तथ्य स्पष्ट रूप से अंकित किये थे कि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी चाकसू की आज्ञा का रेस्पोडेन्ट को शुरू से ही ज्ञान था तथा विवादग्रस्त आराजी के खातेदारान की सहमति से प्रस्तुत किय गये बंटवारेनामें को बाद जांच स्वीकार किया गया एवं सहमति से हुये विभाजन में पक्षकारान के बयान भी अंकित है जिसमें किसी प्रकार की कोई कपट की कार्यवाही नही की गई थी, पारस्पारिक सहमति के आधार पर किया गया बंटवारानामा तथा उक्त भूमि पैतृक सम्पत्ति है तथा बंटवारेनामें के पश्चात् भूमि का अलग–अलग बंटवारे के आधार पर उपयोग उपभोग कर रहे है तथा बंटवारेनामें के आधार पर ही लगान अदा कर रहे है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह उक्त तथ्यों के विपरित होने के कारण काबिले निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विधिक प्रावधानों के तहत सहमति के तथ्यों से पक्षकारान एस्टोप्ड होते है, जब प्रश्नगत प्रकरण में सभी पक्षकारान सहमत थे और उस सहमति के आधार पर एस्टोप्ड है तो अधीनस्थ न्यायालय को उक्त बंटवारानामा को खारिज करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअन्दाज करते हुये जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह गलत है एवं काबिले निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि प्रश्नगत भूमि बाबत् उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक नियमित वाद भी प्रस्तुत कर रखा है जो वाद संख्या 26/2017 बउनवानी प्रभातीलाल बनाम ग्यारसीलाल के नाम से जैरकार है, जहॉ नियमित वाद विचाराधीन हो वहा पर समरी प्रोसिडिन्ग के

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

आधार पर किसी प्रकार का कोई निर्णय नही किया जा सकता। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपने तथ्यों की ताईद जरिये वाद के द्वारा की जाकर गुणावगुण पर प्ररण का निस्तारण होना चाहिये था, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त तथ्य पत्रावली पर मौजूद होने के बावजूद भी अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह गलत एवं काबिले निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2017 को निरस्त फरमाया जावें।

अपील संख्या 143/18 के अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि ग्राम शील की डूँगरी तहसील चाकसू जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 236 रकबा 1.19 हैक्टयर, खसरा नम्बर 239 रकबा 0.013 हैक्टयर, खसरा नम्बर 240 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 289 रकबा 0.21 हैक्टयर, खसरा नम्बर 290 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 291 रकबा 0.95 हैक्टयर, व खसरा नम्बर 312 रकबा 0.02 हैक्टयर कुल किता 7 मिल रकबा 2.52 हैक्टयर के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार प्रभात, ग्यारसीलाल, मूलचन्द व धन्नालाल पुत्रान जमन लाल उर्फ झम्मन, जाति खारवाल निवासी शील की डूँगरी थे, जो जमाबन्दी सम्वत् 2059से 2062 में अंकित है। उन्होने कथन किया है कि उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 236, 239, 240, 289, 290 व 291 कुल किता 6 कुल रकबा 2. 50 हैक्टयर भूमि को उपरोक्त वर्णित खातेदार प्रभात, ग्यारसीलाल, मूलचन्द व धन्नालाल पुत्रान जमनालाल, जाति खारवाल ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.12.2004 द्वारा अपीलार्थीगण को विक्रय पत्र दिनांक 29.12.2004 द्वारा अपीलार्थीगण को विक्रय कर विक्रय पत्र दिनांक 29.12.2004 को पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 100 पृष्ठ संख्या 13, क्रम संख्या 2004001791 पर पंजीबद्ध कर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 197, पृष्ठ संख्या 61 से 70 पर उप पंजीयक चाकसू के सक्षम उपस्थित होकर तस्दीक करा दिया, विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व भू-अभिलेखों में नामान्तरकरण संख्या 54 दिनांक 11.01.2005 को तस्दीक किया जाकर अपीलार्थीगण का नाम राजस्व भू-अभिलेखों में अंकित हो गया, क्रय दिनांक 29.12.2004 के अपीलार्थीगण उपरोक्त क्रयशुदा आराजीयात पर काबिज रहकर उपयोग व उपभोग करते चली आ रही है। उन्होने आगे कथन किया है कि उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों की जानकारी होने के पश्चात् भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रभातीलाल पुत्र जमनालाल ने उपरोक्त वर्णित भूमि व अन्य भूमि के सम्बन्ध में तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 42 दिनांक 29.07.1994 के विरूद्ध वर्ष 2017 में 23 वर्ष पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी चाकसू ने अपनी आज्ञा दिनांक 29.07.1994 द्वारा ग्राम शील की डूंगरी की आराजीयात गत खसरा नम्बर 43, 38, 45, से बने हाल खसरा नम्बर 280, 299, 300, 308, 309, 313 प्रभात पुत्र जमनालाल उर्फ झम्मन आराजी खसरा नम्बर 282/606, 294, 295, 296 व 287/599 ग्यारसीलाल पुत्र जमनालाल उर्फ झम्मन, आराजी खसरा नम्बर 279, 281, 310 व 311 धन्नालाल पुत्र जमनालाल उर्फ झम्मन आराजी खसरा नम्बर 236, 239, 240, 289, 290, 291

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

व खसरा नम्बर 312 प्रभात, ग्यारसीलाल, मूलचन्द व धन्नालाल, जमनालाल उर्फ झम्मन के नाम नामान्तरकरण भरकर पेश किया जो गलत है चूँकि गत खसरा नम्बर 43 व 45 तो अकेले प्रभातीलाल के नाम ही दर्ज भूमि थी जिसके हाल खसरा नम्बर 280, 299, 300, 308, 309, 282/66, 294, 295 296, 287/599, 279, 281, 310 व 311 बने है, जो ग्यारसीलाल, धन्नालाल व मूलचन्द के नाम कर दिये गये जो गलत है, शामलाती खसरा नम्बर 38 ही था जिसकी बंटवारे हेतु सहमति दी थी, खसरा नम्बर 43 व 45 के बंटवारे हेतु सहमति नही दी थी इसलिये नामान्तरकरण संख्या 42 दिनांक 29.07.1994 को निरस्त किया जावे। इस प्रकार अपीलार्थी प्रभाती लाल द्वारा साबिक खसरा नम्बर 43 व 45 से बने हाल खसरा नम्बर का ही नामान्तरकरण गलत दर्ज होना अपील में अंकित किया गया जो गत खसरा नम्बर 38 से बने हाल खसरा नम्बर 236, 239, 240, 289, 290, 291, व 312 के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नही होना बताया और नामान्तरकरण को सही व सहमति से दर्ज होना अंकित किया गया और रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगातय 4 ने भी उक्त कथन को स्वीकार किया है उसके पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित कर सम्पूर्ण नामान्तरकरण संख्या 42 दिनांक 29.07.191 को विधि विरूद्ध निरस्त कर दिया गया जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को प्रकरण में ना तो पक्षकार कायम किया और ना ही पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया जो प्राकृतिक न्यायालय एवं न्याय प्रशासन के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरित पारित किया गया, अपीलाधीन निर्णय पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि अपीलार्थीगण द्वारा गत खसरा नम्बर 38 का शामलाती होना और गत खसरा नम्बर 38 के सम्बन्ध में बंटवारे हेतु सहमति देना स्वीकार किया है और गत खसरा नम्बर 38 से बने हाल खसरा नम्बरों का चारों खातेदारों द्वारा बेचान अपीलार्थीगण को किया जाना विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व भू अभिलेखों में नामान्तरकरण संख्या 54 दिनांक 11.01.2005 को तस्दीक किया जाकर अपीलार्थीगण का नाम राजस्व भू अभिलेखों हाल राजस्व जमाबन्दी में अंकित होने के पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को बिना पक्षकार कायम किये ही अपीलाधीन आदेश पारित फरमा दिया है जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर दिनांक 28.12.2017 को आंशिक रूप से निरस्त फरमाया जाकर गत खसरा नम्बर 38 से बने हाल खसरा नम्बर 236 रकबा 1.19 हैक्टयर, खसरा नम्बर 239 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 240 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 289 रकबा 0.21 हैक्टयर, खसरा नम्बर 290 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 291 रकबा 0.95 हैक्टयर व खसरा नम्बर 312 रकबा 0.02 हैक्टयर कुल किता 7 कुल रकबा 2.52 हैक्टयर तक तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 42 दिनांक 29.07.1994 को यथावत रखे जाने का आदेश पारित फरमाया जावें।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्यारसीलाल के अधिवक्ता ने दोनों अपीलों के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्यारसीलाल ने अपने स्वयं के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी गत खसरा नम्बर 45 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर 42 रकबा 3 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा के बंटवारे की कभी स्वीकृति नही दी है, आराजी खसरा नम्बर 45 व 43 दोनों की खसरा नम्बरान की आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्यारसी लाल की स्वयं की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी है, आराजी खसरा नम्बर 45 व 43 में रेस्पोडेन्ट ग्यारसीलाल के अलावा अन्य किसी का कोई सीर–साझा नही है, ऐसी स्थिति में बंटवारे हेतु सहमति दिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता हे, रेस्पोडेन्ट एक अनपढ एवं भोला–भाला व्यक्ति है और इसी का नाजायज फायदा उठाते हुये अपीलान्ट्स ने रेस्पोडेन्ट को धोखे में रखकर तथा रेस्पोडेन्ट के भोलेपन व निरक्षरता का नाजायज फायदा उठाते हुये राजस्व कारकूनान से मिलीभगत कर दौराने भू प्रबन्ध रेस्पोडेन्ट व अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 3 के शामलाती खसरा नम्बर 38 रकबा 14 बीघा 1 बिस्वा का आपस में बंटवारा करने की कार्यवाही करते हुऐ धोखे से रेस्पोडेन्ट की स्वयं की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 43 व 45 को भी शामिल करते हुये सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी चाकसू से दिनांक 29.07.1994 को बंटवारा करवाकर नामान्तरकरण स्वीकार करा लिया जो प्रारम्भ से ही शून्य है तथा जो बंटवारानामा स्वीकार किया गया है, वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 में दिये गये प्रावधानों के विपरित किया गया है, रेस्पोडेन्ट की स्वंअर्जित खातेदारी काश्तकारी आराजी को भी धोखे से सम्मलित कर बंटवारा किया है, मौके पर आज भी बंटवारे से पूर्व की स्थिति अनुसार कब्जा काश्त है, बंटवारा जो तैयार किया है, वह अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा अवैध रूप से अनुचित फायदा प्राप्त करने की गरज से तैयार कराया जाकर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी चाकसू द्वारा बिना विवेक का उपयोग किये ही बंटवारेनामे को मनमाने तौर पर स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि प्रारम्भ से शून्य बंटवारेनामें/नामान्तरकरण की रेस्पोडेन्ट को कोई इल्म नही था परन्तु सर्वप्रथम दिनांक 23.11.2016 को के.सी.सी.0 हेतु जमाबन्दी प्राप्त करने पर हुई जिस पर रेस्पोडेन्ट ने बिना किसी देरी के जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक तौर पर कार्यवाही करते हुए ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपीलान्ट्स की दोनों अपीले खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया

संभागीय आयुक्त
जयपुर

गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट श्रीमती रेणु बासोतिया एवं श्रीमती प्रीती बासोतिया प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न छाया प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2024–2027, 2028–2031, 2032–2035, 2041–2044 में आराजी खसरा नम्बर 43 एवं 45 प्रभात्या पुत्र जमन, जाति खारवाल साकिन देह खातेदार अंकित है तथा इसी प्रकार नकल खतौनी एकीकरण (जमाबन्दी) सम्वत् 2011 में भी आराजी खसरा नम्बर 45 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा एवं आराजी खसरा नम्बर 43 रकबा 3 बीघा प्रभात्या पुत्र जमन के नाम दर्ज है जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 43 व 45 शामलाती भूमि नही है बल्कि प्रभात पुत्र जमन की स्वयं एकल खातेदारी की भूमि है इसके विपरित अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्याद प्रस्तुत नही किया गया है जिससे आराजी खसरा नम्बर 43 व 45 पैतृक आराजी साबित होती हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नही होती है लेकिन चूँकि अपीलान्ट श्रीमती रेणु बासोतिया एवं श्रीमती प्रीती बासोतिया द्वारा आराजी गत खसरा नम्बर 38 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खातेदारान से क्रय की गई है जिनका नाम राजस्व भू अभिलेखों में भी अंकित हो चुका है उसके उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त क्रेतागण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही बनाया गया है जिससे आराजी गत खसरा नम्बर 38 के क्रेतागण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने से वंचित रहे है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2017 को निरस्त किया प्रकरण तहसीलदार चाकसू को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की दोनों अपीले स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2017 को व सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी चाकसू की आज्ञा दिनांक 29.07.1994 मिसल संख्या 32/89 व इसके अनुसरण में स्वीकार किया गया नामान्तरकरण संख्या 42 वाके ग्राम शील की डूँगरी निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार चाकसू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 01.08.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर